कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला-रीवा(म.प्र.)

आदेश

रीवा, दिनांक: 28 जुलाई 2020

क्रमांक / 737 /प्रवा. कले./2020:- मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-02/ 2020 /17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष मे म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/ 2020/272,दिनांक 24.03.2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र0/ प्र0स0/ स्वास/ सत्रह/ मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्सन 71(1) एवं 71(2) मे निहित शक्तियो का उपयोग कर निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:--

1- नगर परिषद चाकघाट वार्ड क्र0-09 मे पाए गए COVID-19संक्रमित पॉजिटिव केस से संबंधित घर एवं उसके आस-पास के घरों की जानकारी निम्नानुसार है :--

स0 क्र0	स्थान का नाम
1	नगर परिषद चाकघाट वार्ड क्र0-09 अंतर्गत उत्तर में श्री मोतीलाल केशरवानी के मकान से श्री अशोक केशरवानी के मकान तक एवं दक्षिण में श्री रजतकुमार शुक्ला के मकान से श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता के मकान तक रा.नि.मण्डल चाकघाट तहसील त्योंथर जिला-रीवा (म.प्र.)

2- श्री राजमणि निवासी चाकघाट वार्ड क्र0-09 के घर को Epicenter घोषित करते हुये नगर परिषद चाकघाट के वार्ड क्र0-09 अंतर्गत उत्तर में श्री मोतीलाल केशरवानी के मकान से श्री अशोक केशरवानी के मकान तक एवं दक्षिण में श्री रजतकुमार शुक्ला के मकान से श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता के मकान तक रा.नि.मण्डल चाकघाट तहसील त्योंथर जिला-रीवा (म.प्र.)को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरो का सर्वे निर्धारित प्रपत्र मे अनिवार्यत: किया जावेगा।

3- कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemices Diseases COVID-19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :---

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	नगर पालिका अधिकारी	पी.डब्ल्यू.डी अधिकारी
नगर परिषद चाकघाट वार्ड क्र0-09 अंतर्गत उत्तर में श्री मोतीलाल केशरवानी के मकान से श्री अशोक केशरवानी के मकान तक एवं दक्षिण में श्री रजतकुमार शुक्ला के मकान से श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता के मकान तक रा.नि.मण्डल चाकघाट तहसील त्योंथर जिला-रीवा (म.प्र.)	श्री संजीव कुमार पाण्डेय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभागत्योंथर मो. न. 6264580802	श्री बी.डी. नामदेव तहसीलदार तहसील त्योंथर मो.न. 9425438931	श्री नवीन दुबे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस त्योंथर मो.न. 8602648624	श्रीमती रुपाली द्विवेदी मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.परि.चाकघाट मो.न. 7987224711	श्रीअंगिरा प्रसाद तिवारी अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मो. न. 6264050216

कृ0प0उ0

जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

4- कंटेनमेंट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ नौशाद अहमद खण्ड चिकित्सा अधिकारी त्योंथर मो.न. 9424336978 नोडल अधिकारी रहेगे तथा सहायक नोडल अधिकारी, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास त्योंथर श्रीमती अंजना सिंह,मो.न.-9893084178 रहेगी ।

-:: कंटेनमेंट एरिया ::-

1- कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्णरूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियो का होम कोरेंटाईन मे रहना उचित होगा। संदर्भित कार्यालयीन आदेशो के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से क्रियांवयन हो सकेगा। अत: कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।

2- कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओ के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

3- कंटेनमेंट एरिया हेतु रेपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार कर्तव्यों का निष्पादन करेंगें !

4- उक्त क्षेत्र के एंट्री एक्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियो द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी।

5- समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन कार्यकर्ता / एपीसेंटर से प्रति टीम पचास घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा मे रिपोर्ट डॉ एन0 के0 पाण्डेय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी,जवा मो.न.-9424336978 जो अनिवार्यत: करायेगे, तथा डॉ बसंत अग्निहोत्री जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल आफिसर मो. न. 9425185810 से समन्वय स्थापित करेगे।

6- समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, स्वास लेने मे तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगे।

7- समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेंटाइन कराया जाना अतिआवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय मे फैलने से रोका जा सके।

8- जिनको होम कोरेंटाइन किया गया है , उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जबतक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाए और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, सम्बंधित के फर्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेंटाइन मे रहना होगा एवं फॉलोअप अतिरिक्त 14 दिन प्रतिदिन रखना होगा।

9- आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए समस्त सम्बंधितो (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मे उल्लेखित) से अनिवार्यत: सम्पर्क किया जाकर उन्हे भी होम कोरेंटाइन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करे।

10- जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।

11- सस्पेक्टेड केस आर. आर.टी /एम. एम. यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे मे आइसोलेशन मे रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुए हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे।

12- समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे।

(इलैयाराजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म0प्र0)

कृ0प0उ0

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी
जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पृ.क्र / 737 /प्रवा. कले. /2020 रीवा, दिनांक 28 जुलाई /2020

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकाश विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एव बाल विकास रीवा।
15. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला रीवा।
16. नगर पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रैपिड रिस्पांस टीम एवं मेडिकल मोबाइल यूनिट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु!
18. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
19. संबंधीजन श्री...की ओर पालनार्थ!
20. सहायक संचालक, जनसम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म0 प्र0)

जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

रीवा, दिनांक 28 जुलाई /2020

क्रमांक / 737 /प्रवा. कले. / 2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 10-02/ 2020 /17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष मे म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकि है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए म0 प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/ आईडीएसपी /2020/272, दिनांक 24.03.2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र./ प्र. स. / स्वास / सत्रह / मेडि-3 / 596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म. प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्सन 71(2) मे प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है। मैं इलैया राजा टी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा (म0 प्र0) पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्सन 71 (1) एवं 71 (2) मे निहित शक्तियो का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए श्री राजमणि निवासी चाकघाट वार्ड क्र0-09 के घर को Epicenter घोषित करते हुये नगर परिषद चाकघाट के वार्ड क्र0-09 अंतर्गत उत्तर में श्री मोतीलाल केशरवानी के मकान से श्री अशोक केशरवानी के मकान तक एवं दक्षिण में श्री रजतकुमार शुक्ला के मकान से श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता के मकान तक रा.नि.मण्डल चाकघाट तहसील त्योंथर जिला-रीवा (म.प्र.)को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है । कन्टेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के चारो ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन माना जाएगा ! जिसमे आई.एल.आई.के मरीजो की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा ! उक्त कार्य के सम्पादन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों / कर्मचारियो के कर्तव्य निश्चित किए जाते है :--

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मो. न.	वार्ड क्र.
1	श्रीमती मनीषा सिंह	ए.एन.एम.सामु.स्वा.केन्द्र चाकघाट	7974724587	वार्ड क्र -09
	श्री मुकेश सेन	वार्ड प्रभारी न.प.चाकघाट वार्डक्र-09	8269935170	
	श्रीमती सरिता नामदेव	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता वार्ड-09 चाक	9340571926	
	श्री कृष्णकुमार शुक्ल	प्राथ..शिक्षक प्रा.शाला केउटान टोला	9229575275	

पर्यवेक्षण दल

क्र.	नाम	पद	कार्य
1	श्री बुद्धसेन द्विवेदी मो.न.- 9473880560	सेक्टर सुपरवाईजर सेक्टर क्षेत्र-चाकघाट	वार्ड क्र0-09

कृ0प0उ0

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

रिजर्व दल

दल क्र.	नाम	पद	मो. न.
1	श्रीमती शशिप्रभा तिवारी	ए.एन.एम.उप.स्वा.केन्द्र अमाव	9589665992
2	श्रीमती संगीता सोंधिया	आंगनबाड़ी वार्ड क्रमांक-08 चाक	9644234739
3	श्री राज रखन मांझी	वार्ड प्रभारी न.प.चाकघाट	7974143255
4	श्री कुवर बहादुर सिंह	प्राथ.शिक्षक,प्राथ.शाला केउटान टोला	7985738273

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय त्योंथर नियंत्रण कक्ष रहेगा नियंत्रण कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था डॉ नौशाद अहमद, खण्ड चिकित्सा अधिकारी त्योंथर मो.न.-9424336978 करेंगे एवं डॉ.के.बी.पटेल, एम.ओ.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योंथर मो.न.-8878021052 कन्टेनमेंट क्षेत्र में कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य देखेंगे तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट सुपरवाइजर के माध्यम से प्राप्तकर खण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे के पूर्व प्रेषित करेंगे !

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा

(इलैयाराजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म0प्र0)

पृ.क्र./ 837 /प्रवा. कले. /2020 रीवा, दिनांक 28 जुलाई /2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवंपरिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रैपिड रिस्पांस टीम एवं मेडिकल मोबाइल यूनिट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु !
9. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
10. सम्बंधीजन श्री ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म.0प्र0)

Scanned with CamScanner